न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 51/2013 (जीसीएमएस नम्बर 2009/00002)

1. किशन चन्द उर्फ किशनलाल पुत्र खानचन्द **(मृतक)**
   - 1/1. कृपालदास पुत्र स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द,
   - 1/2. दीपक सोनी पुत्र स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द,
   - 1/3. राजकुमारी पत्नी स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द जाति खत्री निवासीयान हाल 2/67 स्कीम नम्बर 10 बी अलवर राज0।
   - 1/4. विजयरानी पुत्री स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द पत्नी कृष्ण जाति खत्री निवासी हाल मिलकपुर तहसील रामगढ
   - 1/5. इन्द्रादेवी पुत्री स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द पत्नी बृजेश कुमार जाति खत्री निवासी हाल 751 शिव कॉलोनी अलवर राज0।
   - 1/6. रजनी पुत्री स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द पत्नी राजीव कुमार हाल निवासी बडौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
   - 1/7. गीता अरोडा पुत्री स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द पत्नी अजय अरोडा, जाति खत्री हाल निवासी 215 शांति कुंज अलवर राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. मु0 अमृताबाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति खत्री,
2. सुरेश चन्द पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति खत्री,
3. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति खत्री,
4. राजेश पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति खत्री निवासीयान मस्तापुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 हाल निवासीयान मकान नम्बर 162 स्कीम नम्बर 4 अलवर राज0।
5. शकुन्तला पुत्री लक्ष्मीचन्द जाति खत्री निवासी मस्तापुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 हाल मकान नम्बर 172 स्कीम नम्बर 4 अलवर।
6. माया पुत्री लक्ष्मीचनद जाति खत्री निवासी मस्तापुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 हाल मौहल्ला दारूकूट गली नम्बर 4 अलवर राज0।
7. सुषमा पुत्री लक्ष्मीचन्द जाति खत्री निवासी मस्तापुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 हाल मौहल्ला दारूकूट गली नम्बर 4 अलवर राज0।
8. आशा पुत्री लक्ष्मीचन्द जाति खत्री निवासी मस्तापुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 हाल मौहल्ला दारूकूट गली नम्बर 6 अलवर राज0।
9. बबीता पुत्री लक्ष्मीचन्द जाति खत्री निवासी मस्तापुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 हाल प्लॉट नम्बर 61 स्कीम नम्बर 4 अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत खेडा मेहमूद पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर दिनांक 13.09.1976 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर दिनांक 06.04.2009 अपील संख्या 12/27 सन् 98 इंतकाल संख्या 14 वाके ग्राम मस्तपुर तहसील उप गोविन्दगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त किए जाने निर्णय हर दो अधिनस्थ न्यायालय एवं स्वीकार किए जाने अपील अपीलांट एवं अन्य न्योयोचित दादरसी बाबत पेश की गई।

उपस्थित–

1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन,, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 4 की ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –18.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 06.04.2009 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता खानचन्द वल्द जीवनदास की अलॉटशुदा आराजी खसरा नंम्बर 255, 262, 283, 285 किता 4 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, 149, 206, 224, 260, 274, 286 किता 6 रकबा 12 बीघा, 229, 273 किता 2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा सालिग ख.नं. 68, 71, 72 किता 3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 भाग व ख.नं. 144 रकबा एक बीघा 10 बिस्वा मे 4/5 भाग वाके ग्राम मस्तपुर है। उक्त आराजी का सनद पटटा खातेदारी सं. 4559 दिनांक 24.09.68 खानचन्द के नाम जारी नहीं किया गया बल्कि खानचन्द के नाम सनद पट्टा संख्या 4560 जारी हुआ था तथा अपीलान्ट के पिता खानचन्द अपने जीवनकाल तक स्वंय इस आराजी पर काबिज काश्त रहा और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान इस आराजीयात पर काबिज है। उक्त सनद पट्टा के सन्दर्भ में पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 14 दिनांक 25.06.76 भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया और ग्राम पंचायत ने खानचन्द व रेस्पोडेन्ट के पति व पिता लक्ष्मीचन्द के हक में बहिस्से बराबर स्वीकार किये जाने की आज्ञा पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के अपील पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 06.04.2009 द्वारा अपील अपीलान्ट बाबत इंतकाल संख्या 14 निर्णय ग्राम पंचायत खेडा महमूद दिनांक 13.09.76 मियाद बाहर होने तथा प्रथम दृष्टया अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं होने एवं अपील क्लीन हैण्ड से संस्थित नहीं करने के कारण खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 06.04.2009 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट किशनचन्द उर्फ किशनलाल पुत्र खानचन्द द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत खेडामहमूद दिनांक 13.09.1976 बाबत इंतकाल संख्या 14 वाके ग्राम मस्तपुर तथा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 06.04.2009 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत ने उक्त विवादित इंतकाल गलत तस्दीक किया है। ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तरकरण को तस्दीक करने का अधिकार नहीं है। सनद पट्टा नम्बर 4559 जो दिनांक 24.09.1968 का बताया है जबकि इस नम्बर का कोई पट्टा इनके नाम जारी नहीं हुआ। पटवारी और ग्राम पंचायत ने उस पटटे की जांच नहीं की। सनद पट्टा 1968 का है जबकि इंतकाल 1976 में किया गया है जो विधि विरूद्ध है। खानचन्द अपीलान्ट के पिता है इसलिये मेरे भी अधिकार बनते हैं। ग्राम पंचायत के उक्त गलत इन्तकाल की जानकारी हमें नहीं थी। जानकारी होने पर अपील पेश कर दी गई। अपीलान्ट के पिता खानचन्द वल्द जीवनदास की अलॉटशुदा आराजी खसरा नंम्बर 255, 262, 283, 285 किता 4 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, 149, 206, 224, 260, 274, 286 किता 6 रकबा 12 बीघा, 229, 273 किता 2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा सालिग ख.नं. 68, 71, 72 किता 3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 भाग व ख.नं. 144 रकबा एक बीघा 10 बिस्वा मे 4/5 भाग वाके ग्राम मस्तपुर है। उक्त आराजी का सनद पटटा खातेदारी सं. 4559 दिनांक 24.09.1968 खानचन्द के नाम जारी नहीं किया बल्कि खानचन्द के नाम 4560 सनद पट्टा जारी हुआ था तथा

 आ... संभागीय आयुक्त
जयपर

अपीलान्ट के पिता खानचन्द जीवनकाल तक स्वंय इस आराजी पर काबिज काश्त रहा और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान इस आराजीयात पर काबिज है। उक्त सनद पट्टा के सन्दर्भ में पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 14 दिनांक 13.09.1976 भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया और ग्राम पंचायत ने खानचन्द व रेस्पोडेन्ट के पति व पिता लक्ष्मीचन्द के हक में बहिस्से बराबर स्वीकार किये जाने की आज्ञा पारित कर दी जबकि ग्राम पंचायत को इस प्रकार के इंतकाल निर्णित करने का कानूनन अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के विपरीत विदआउट ज्यूरीशडिक्शन इंतकाल फैसल किया है। ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये ही इंतकाल फैसल कर दिया जबकि आराजी मुन्दर्जे इंतकाल का लक्ष्मीचन्द अलोटी गैर खातेदार नहीं था, ना उसके हक में कोई सनद पट्टा जारी हुआ है, ना राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मीचन्द का कोई इन्द्राज है बल्कि सनद पट्टा अकेले खानचन्द के नाम जारी है, तो ऐसे में खानचन्द के ही हक में सालिम आराजी का इंतकाल होना चाहिए था। उक्त इंतकाल संख्या 14 को सनद पट्टा खातेदारी के संदर्भ में भरकर पेश किया गया है, कानून के अनुसार इस प्रकार के इंतकाल को फैसल करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदत्त नहीं है बल्कि तहसीलदार/उप तहसीलदार को है, और इस प्रकार अदालत मातहत ने भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत विद आउट ज्यूरीशडिक्शन इंतकाल फैसल किया है। सनद पटटा दिनांक 24.6.1968 को जारी हुआ है तो उसी वक्त इंतकाल की कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन रेस्पोडेन्ट के पति व पिता लक्ष्मीचन्द ने 8 साल बाद सन् 1976 में पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत से साज–बाज होकर इंतकाल की कार्यवाही करायी है और बेजा रूप से अपने हक में इंतकाल स्वीकार करा लिया है। विवादित आराजी मुन्दर्जे इंतकाल का खानचन्द पुत्र जीवनदास अकेला अलॉटी गैर खातेदार काश्तकार था व उसी ने कीमत कर्जा जमा कराकर सनद पट्टा हांसिल किया, एवं सनद पट्टा संख्या 4559 दिनांक 24.9.1968 अकेले खानचन्द के नाम जारी नहीं की गयी है, बल्कि सनद पटटा 4560 जारी हुआ है तो ऐसी सूरत में अकेले खानचन्द के नाम दर्ज व तस्दीक किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खेडा महमूद दिनांक 13.09.1976 इंतकाल संख्या 14 ग्राम मस्तपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान एवं निर्णय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 06.04.2009 अपील संख्या 12/27/98 निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 14 तन्हा खानचन्द के नाम दर्ज व स्वीकार किए जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि किशनलाल ने एक नियमित वाद उद्घोषणात्मक सन् 1986 में दायर किया जिसमें इंतकाल नं. 14 को चुनोती दी गई। जो मुकदमा दिनांक 22.1.1990 को खारिज हो गया। इन्ही पार्टीज के मध्य उक्त मुकदमा था जिसकी अपील की जो दिनांक 16.6.1995 को खारिज हो गई। राजस्व मण्डल में रिवीजन हुई जो दिनांक 13.2.1997 को खारिज हो गई। इन्हें सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.5.1998 को होना बताया है जबकि इससे सम्बन्धित दावा खारिज हो चुका है। ऑर्डर–41 रूल–27 की मेरी दरख्वास्त दिनांक 03.05.1999 को स्वीकार की गई। खानचन्द की मृत्यु पर विरासत इंतकाल संख्या 25 हमारे नाम हुआ। जिसकी अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में की जिसमें भी यही तथ्य है जो अपील निर्णय दिनांक 30.10.1995 को मियाद बाहर मानकर खारिज की गई थी जिस निर्णय के विरूद्ध अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील हुई जो दिनांक 06.10.1997 को खारिज हो चुकी है। हमारे पिता लक्ष्मीचन्द की उनकी विरासत का नामान्तरकरण 124 की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में हुई जो दिनांक 16.08.1991 को इनके हक में स्वीकार की जाकर मृतक लक्ष्मीचन्द के तीन वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 06.04.2009 द्वारा अपील अपीलान्ट बाबत इंतकाल संख्या 14 निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ग्राम पंचायत खेडा महमूद दिनांक 13.09.76 मियाद बाहर होने तथा प्रथम दृष्टया अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं होने एवं अपील क्लीन हैण्ड से संस्थित नहीं करने के कारण खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2009 को यथावत रखा जावे।

7 हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा, प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर विदित होता है कि लक्ष्मीचन्द की मृत्यु पश्चात् उसके विधिक वारिसान के हक में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 124 अपीलान्ट द्वारा पूर्व में चुनौती दी गई थी। जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.04.1994 द्वारा बहाल रखा गया है। जब पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण को अपीलान्ट द्वारा पूर्व में ही चुनौती दी गई है तो यह कथन कि इससे पूर्व के नामान्तरकरण संख्या 14 की उन्हें जानकारी नहीं थी, विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता है। जब पश्चात्वर्ती वादकरण की जानकारी हो तो पूर्ववर्ती वादकरण की जानकारी स्वमेव ही होना धारित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। प्रकरण में पारिवारिक समझौता पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार पारिवारिक सदस्यों यथा खानचन्द के समस्त वारिसान द्वारा अपनी सम्पत्ति का बॅटवारा आपसी समझौते में किया गया था। उक्त समझौते (Mutual agreement) को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दिया जाना प्रश्नगत अपील में अंकित नहीं किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि समझौते को उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। स्वीकारोक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता नही होती है (Admitted fact need not to be proved) के सिद्धान्त के अनुसार भी प्रकरण में अपीलान्ट के कोई हित निहित प्रतीत नहीं होते है। प्रकरण में निर्णित पूववर्ती वादों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के संबंध में पूर्व में कतिपय सक्षम न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किये जा चुके है। जिनमें पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 124 को विविवत माना गया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज वाद के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन प्रतीत होती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2009 कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने के कारण इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यदि अपीलार्थीगण के कोई अधिकार बनते है तो इसके लिये अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में घोषणा के दावे में तय करवाने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2009 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर